


237

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,
जिला रीवा (म0प्र0)



रामधनी कोरी तनय स्व0 श्री बलदेव कोरी, उम्र 70 वर्ष, पेशा-मजदूरी, १९-३०१-

निवासी-ग्राम सोनौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

अधीनस्थ मनीष मिश्रा
द्वारा पेशा 05-7-17

ज्ज/निग०/रीवा/२-९/
2017/2100

आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती केशकली कोरी पुत्री स्व0 श्री जबरा कोरी, पत्नी शंकर कोरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम अतरैला, तहसील त्योथर, जिला रीवा (म0प्र0)
2. राजकली कोरी पुत्री स्व0 श्री जबरा कोरी, पत्नी ~~जबरा कोरी~~ उम्र 20 वर्ष, निवासी-~~श्री मण्डली, तहसील हुजूर, जिला रीवा~~

अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1148/अपील/12-13 में दिनांक 25.01.2017 को पारित किया जाकर अपीलाण्ट की अपील को निरस्त की गई।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरा0संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

✓

U. J.




21/5
21/5

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०III/निग./रीवा/भू-रा०/2017/2100

जिला-रीवा

रामधनी कोरी/केशकली कोरी

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	